HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 676/2026

Raju Yadav S/o Shri Kalyan

----Appellant

Versus

Radheyshyam and Ors.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Pradeep Singh
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/05/2026

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी/वादी के पिता श्री कल्याण जी का स्वर्गवास दिनांक 25.07.1997 को हो चुका है और माता हीरा बाई उर्फ भंवरा बाई थी, जिनका स्वर्गवास भी दिनांक 06.06.2016 को हो चुका है। मृतक कल्याण के दो पुत्र थे, जो कि अपीलार्थी/वादी स्वयं एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 3 रणजीत है। उनकी माता हीरा बाई उर्फ भंवरा बाई तथा पिता कल्याण के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद होने के कारण उनकी माता हीरा बाई ने रामगोपाल नाम के व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। स्व. हीरा बाई पति रामगोपाल से आपसी विवाद होने के कारण वह अपने पूर्व पति कल्याण के पास वापस आ गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा 2 का अपीलार्थी/वादी के पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। वादपत्र में उल्लेखित संपत्ति पैतृक संपत्ति है। डी.डब्ल्यू. 1 राधेश्याम ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि कल्याण द्वारा अर्पित संपूर्ण संपत्तियों में राजू यादव और रणजीत का अधिकार है। वादग्रस्त संपत्ति को प्रत्यर्थीगण रहन, विक्रय, बेचान करने पर आमादा हैं। अतः वादग्रस्त संपत्ति को रहन विक्रय और बेचान नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा जारी की जाए।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गयां

तद्नुरूप अपीलार्थी/वादी के तर्कों पर मनन करने व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 15.04.2026 को दृष्टिगत रखते हुए तथा समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त संपत्ति को प्रकरण की आगामी तिथि तक किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण, रहन नहीं करेंगे। उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है और प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /6